संख्या-38/2022/2490/22-2-2021-17(598)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 25 मई, 2022*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ऋषिराज सिंह उर्फ भोले पुत्र श्री छोटे सिंह, निवासी जनपद-बिजनौर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34293/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 09.09.2021, दिनांक 27.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी ऋषिराज सिंह उर्फ भोले पुत्र श्री छोटे सिंह, निवासी-भगवानपुर रैनी,थाना-स्योहारा, जनपद-बिजनौर का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीनी पर किसी से पैसे लिए थे, पत्नी ने कहा कि मैं जमीन बिकने नहीं दूंगी इसी बात को लेकर दिनांक 08.07.2009 को तमन्चा से गोली मारकर अपनी पत्नी ब्रजादेवी की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-320,321/2010, में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-08, बिजनौर के आदेश दिनांक 28.11.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.03.2021 तक 11 वर्ष, 08 माह, 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 14 वर्ष, 09 माह, 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है । पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर ने बंदी द्वारा जघन्य अपराध कारित किये जाने, बंदी के कारागार से रिहा होने पर पुन: अपराध किये जाने की सम्भावना होने एवं बंदी का अभी सजा पूर्ण होने तक जेल मे रखना आवश्यक है की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की उम्र (57) वर्ष तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओ पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी ऋषिराज सिंह उर्फ भोले(बन्दी संख्या-48752) पुत्र श्री छोटे सिंह, निवासी जनपद-बिजनौर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-38/2022/2490(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बिजनौर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।